In the Court of Addl. Sessions Judge- I Cum Spl. Judge,

Vaishali at Hajipur,

S.Tr.no.-330/2021

Hajipur Sadar P.S. Case no.-439/2019

U/S-394, 302 I.P.C. & 27 Arms Act.
Order Dated:-06-04-2023

06-04-2023

दिनांक 11.12.2019 से काराधीन अभियुक्त विक्रम कुमार की ओर से जमानत आवेदन पत्र विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष उपाध्याय द्वारा दाखिल किया गया, जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर को प्राप्त है। उभय पक्षो को सुना।

संक्षेप मे प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी इस प्रकार से है कि सूचक त्रिपुरारी प्र0 श्रीवास्तव द्वारा लिखित आवेदन थानाध्यक्ष सदर हाजीपुर को इस आशय का दिया गया कि दिनांक 06.07.2019 को रात्रि 08:30 बजे के लगभग उसका बड़ा बेटा विनीत कुमार जो एस.डी.एफ.सी. बैंक लालगंज शाखा के अधीन फिल्ड ऑफिसर के पर पर कार्यरत था, अपनी बैंक की मिटींग के समाप्त होने के बाद अपनी हीरो होण्डा ग्लैमर मोटरसाईकिल संख्या– बी.आर.–02ए.जे.–8764 से अपने घर हाजीपुर लौट रहा था कि सदर थाना क्षेत्र के मनुआ ग्राम अवस्थित मुख्य मार्ग पर किसी अज्ञात अपराधी द्वारा पीछे से गोली मार कर बाईक व दैनिक उपयोग की उसका बैग जिसमे ऑफिसीयल कागजात व कैश आदि ले जाता आता था लूट लिया, जिस क्रम मे गोली लगने की वजह से घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गयी। सूचनोपरान्त जब सूचक घटना स्थल पर पहूँचा तो अपने पुत्र के शव को घटना स्थल पर पड़ा पाया। सदर पुलिस की उपस्थिति मे शव को हाजीपुर सदर अस्पताल लाकर पोस्टमार्टम कराया गया।

काराधीन अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है। आवेदक द्वारा इससे पूर्व कोई अग्रिम जमानत अथवा नियमित जमानत माननीय सत्र न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे दाखिल नही किया गया है। प्राथमिकी अज्ञात के विरूद्ध दर्ज किया गया है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है। संजय पासवान के स्वीकारोक्ति बयान जो कि सदर थाना कांड सं0–490/2019 मे दिया गया था उसी आधार पर आवेदक को इस वाद मे अभियुक्त बनाया गया है तथा आवेदक हाजीपुर सदर थाना कांड सं0–625/19 से दिनांक 11.12.2019 को इस कांड मे रिमाण्ड किया गया है। आवेदक निर्दोष है तथा दिनांक 11.12.

Web Copy not official
ADJ I VAISHALI

2019 से इस वाद मे काराधीन है। अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करने की कृपा की जाये।

विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि आवेदक की संलिप्तता उपरोक्त घटना मे है तथा आवेदक का पूर्व अपराधिक इतिहास भी है। अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि आवेदक की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाये।

जमानत आवेदन पर उभय पक्षो को सुना। कांड दैनिकी, अभिलेख तथा प्राथमिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अनुसार सूचक के पुत्र को अज्ञात अपराधी द्वारा पीछे से गोली मार दिया गया जिस कारण सूचक के पुत्र की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी तथा सूचक के पुत्र का बाईक, ऑफिसियल कागजात लूट लिया गया। मृतक के पिता द्वारा अज्ञात अपराधकर्मी के विरूद्ध संबंधित थाना को लिखित आवेदन दिया गया। प्रस्तुत कांड का प्राथमिकी हाजीपुर सदर थाना कांड सं0–439/19 दिनांक 07.07.2019 को धारा 394, 302 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अज्ञात अपराधकर्मी के विरूद्ध दर्ज किया गया है। दिनांक 11.12.2019 को काराधीन अभियुक्त विक्रम कुमार को हाजीपुर सदर थाना कांड सं0–625/2019 से अधिपत्र के साथ कारा से प्रस्तुत किया गया जिसे इस वाद मे रिमाण्ड किया गया है। प्रस्तुत वाद मे आरोप पत्र सं0–217/2020 दिनांक 05.03.2020 को धारा 394, 302 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध समर्पित किया गया तथा अन्य अज्ञात के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखा गया है। वाद दैनिकी की कंडिका 2 मे वादी के पुनः बयान का उल्लेख किया गया है तथा कंडिका 3 मे मृत्यु संमीक्षा रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। कंडिका 6 मे घटना स्थल का उल्लेख किया गया है तथा कंडिका 7, 8, 9 एवं 15 के साक्षी ने प्राथमिकी का समर्थन किया है। वाद दैनिकी की कंडिका 32 मे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। वाद दैनिकी की कंडिका 57 मे

Web Copy not Official
ADJ I VAISHALI

In the Court of Addl. Sessions Judge- I Cum Spl. Judge,

Vaishali at Hajipur,

S.Tr.no.-330/2021

Hajipur Sadar P.S. Case no.-439/2019

U/S-394, 302 I.P.C. & 27 Arms Act.

सह अभियुक्त संजय पासवान के द्वारा सदर थाना कांड सं0–490/2019 मे दिये गये स्वीकारोक्ति बयान का उल्लेख किया गया है जिसमे आवेदक का नाम अपराधी साथी के रूप मे प्रस्तुत घटना के संबंध मे बताया गया है। वाद दैनिकी की कंडिका 69 मे काराधीन आवेदक अभियुक्त के अपराधिक इतिहास का उल्लेख किया गया है जिसमे सदर थाना कांड सं0– 515/2015 धारा 420, 467, 414, 472, 120बी./34 भा.द.वि. एवं 25(1-b)A/26/35 Arms Act. तथा सदर थाना कांड सं0–625/19 धारा 399, 402, 412, 413 भा.द.वि. एवं 25(1-b)A/26/35 Arms Act. मे दर्ज है। वाद दैनिकी की कंडिका 110 मे अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी सदर, हाजीपुर के पर्यवेक्षण टिप्पणी का उल्लेख किया गया है जिसमे आवेदक के विरूद्ध घटना को सत्य पाया गया है। प्रस्तुत घटना लूटपाट के दौरान हत्या से संबंधित है। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियो के आलोक मे काराधीन आवेदक अभियुक्त को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

फलस्वरूप काराधीन आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

(Deepak Kumar Singh)
Addl. Sessions Judge-I
Vaishali at Hajipur
06-04-2023

Web Copy Not Official
ADJ VAISHALI